भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1280
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के मुद्दे

1280. डॉ. धर्मवीर गांधीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पंजाब और हरियाणा सीमा पर शंभू और खनौरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों को पूरा करते हुए सीमा खोलने की योजना बना रही है;

(ख) उत्तर प्रदेश में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित एमएसपी संबंधी सी2+50% सूत्र लागू करने की योजना बना रही है; और

(घ) क्या सरकार का सभी कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी को वैध बनाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): हालात उत्पन्न होने की स्थिति में केंद्र सरकार उचित कदम उठाती है। तथापि, कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का विषय है।

(ख): सरकार ने 'किसानों की आय दोगुनी करने (डीएफआई)' से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करने हेतु अप्रैल, 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विभिन्न नीतियों, सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिशें की गई थीं। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, समिति ने आय वृद्धि के निम्नलिखित सात स्रोतों की पहचान की है:

i. फसल उत्पादकता में वृद्धि
ii. पशुधन उत्पादकता में वृद्धि
iii. संसाधन उपयोग दक्षता - उत्पादन की लागत में कमी
iv. फसल की गहनता में वृद्धि
v. उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण
vi. किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य
vii. अधिशेष जनशक्ति का कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों में स्थानांतरण

कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें राज्य में कृषि के विकास के लिए उचित प्रावधान करती हैं। तथापि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की आपूर्ति करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम किसानों के उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करने तथा उनके कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 27,662.67 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 के दौरान 1,25,035.79 करोड़ रुपये कर दिया है। सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए बढ़े हुए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम किसानों के उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करने तथा उनके कल्याण के लिए हैं, जिनमें शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं:

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय अर्जन में सहायता
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
4. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना
5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना
6. प्रति बूंद अधिक फसल
7. सूक्ष्म सिंचाई कोष
8. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का संवर्धन
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन तथा शहद मिशन (एनबीएचएम)
10. कृषि मशीनीकरण
11. नमो ड्रोन दीदी
12. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना
13. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) विस्तार मंच की स्थापना
14. खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) का शुभारंभ
15. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
16. कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरूआत
17. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम
18. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का निर्माण
19. कृषि और संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

(ग) एवं (घ): सरकार देश के किसानों तक एमएसपी का पूर्ण लाभ प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार द्वारा 12 जुलाई, 2022 को देश के किसानों को एमएसपी प्रदान करने तथा इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, समिति को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता देने की व्यवहार्यता तथा इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के तरीकों की जांच करने के लिए कहा गया हैतथा उच्च मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करने के लिए सुझाव देने का भी दायित्व सौंपा गया है। यह समिति प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण के विषयों पर भी कार्य कर रही है।

*****